म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क्र–बी–5/2/ई–अनुज्ञा(ऑ.ला.)/2019–20/1282 भोपाल, दिनांक 30/12/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय भोपाल/नर्मदापुरम/इंदौर/उज्जैन/
ग्वालियर/चंबल/सागर/जबलपुर/रीवा।
(म.प्र.)

विषयः–ई–अनुज्ञा, भुगतान पत्रक, विक्रय पत्रक, आर.ओ. आदि के निरस्तीकरण के संबंध में।

–0–

विषयान्तर्गत दिनांक 16 अगस्त,2019 के पश्चात् दिनांक 29.12.2019 (दोपहर तक) की स्थिति में अनुज्ञा–पत्र, भुगतान पत्रक, रसीद, प्रदेश के बाहर से आयतित अनुज्ञा, शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रक, प्रसंस्करण बिल, आर.ओ. (आर.ओ. एन्ट्री), बिलों के आधार पर विक्रय तथा कुल पाक्षिकी निरस्तीकरण की जानकारी निम्नानुसार पाई गई :–

स.क.	कार्य का विवरण	कुल	निरस्ती	निरस्ती का प्रतिशत
01	02	03	04	05
1.	अनुज्ञा–पत्र	647737	4567	0.70%
2.	भुगतान पत्रक	5005313	272274	5.43%
3.	रसीद	248448	6939	2.79%
4.	प्रदेश के बाहर से आयतित	10929	817	7.47%
5	शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रक	54935	2549	4.64%
6	प्रसंस्करण बिल	13662	579	4.23%
7	आर.ओ. एन्ट्री	1271	105	8.26%
8	बिलों के आधार पर विक्रय	18746	453	2.41%
9	कुल पाक्षिकी	51583	2922	5.66%

उपरोक्तानुसार निरस्ती में संभागवार स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) कुल जारी अनुज्ञा–पत्र के विरूद्ध अनुज्ञा निरस्ती भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा संभाग में सर्वाधिक है।

(2) कुल भुगतान पत्रकों के विरूद्ध निरस्तीकरण उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में सर्वाधिक है।

(3) कुल जारी रसीदों में निरस्तीकरण उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल संभाग में सर्वाधिक है।

(4) प्रदेश के बाहर से आयतित अनुज्ञा–पत्रों में जबलपुर, भोपाल, उज्जैन एवं इंदौर में अधिक है।

(5) शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रकों में निरस्तीकरण की स्थिति भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर में सर्वाधिक है।

(6) कुल प्रसंस्करण बिलों के विरूद्ध जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर में सर्वाधिक है।

(7) आर.ओ. निरस्तीकरण की स्थिति भोपाल, उज्जैन एवं ग्वालियर में सर्वाधिक है।

(8) कुल बिलों के आधार पर निरस्तीकरण की स्थिति उज्जैन और इंदौर में सर्वाधिक रही है।

(9) कुल पाक्षिकी विवरण के निरस्तीकरण में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सर्वाधिक है।

कुल अनुज्ञा–पत्रों में कुल निरस्त अनुज्ञा–पत्र 4532 में से 3000 अनुज्ञा–पत्र निरस्त किए गए हैं तथा 1500 संशोधित हुए हैं ।

कृपया अपनी मासिक समीक्षा बैठकों में मण्डीवार, मण्डी सचिवों से उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा की जाए ताकि उपरोक्तानुसार निरस्तीकरण के संबंध में कारण ज्ञात किया जा सके। कारण औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में मुख्यालय को अवगत कराया जाए। यदि कोई भी कार्य निरस्तीकरण त्रुटिपूर्ण अथवा मण्डी प्रावधानों के विपरीत हुए हैं, तो उनमें सुधार कराते हुए संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर संचालक (ई–अनुज्ञा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल